asked to look into the matter further and take necessary action.

11. Housing Branch, DDA has been requested to issue notices to the allottees to clear the dues to the Regd. Agencies.

Recommendations of working group for Rural Storage Centres

19. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI A. R. BADRI NARAYAN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a detailed scheme based on the recommendations of the working group set up by Government for setting up rural storage centres has been formulated by Government;

(b) if so, what are the main points of the scheme;

(c) whether all its recommendations have been accepted; and

(d) if not, how many of them have been rejected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme is still under consideration of the Government.

(c) The recommendations of the Working Group in their broad outlines have been accepted.

(d) Recommendations relating to capacity and number of godowns, pattern of assistance, agency of construction and operation have been slightly modified.

सरकारी आवास में रह रहे भूतपूर्व सदस्य/भूतपूर्व मंत्री

20. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों/भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जो 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक सरकारी बंगलों, मकानों और फ्लेटों में रहे और वह अवधि तथा तारीख भी बताई जाये जिस अवधि तथा तारीख तक वे उस आवास में रहे अथवा अभी रह रहे हैं जिसमें वे संसद् से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद रहने के हकदार नहीं थे और यदि वे तब तक भी सदस्य अथवा मंत्री रहे तो उस आवास के लिए उनके द्वारा अदा किये जाने वाला किराया कितना था और उसके बाद उनसे वसूल की गई किराए की राशि कितनी थी और प्रत्येक मामले में उस आवास के लिए बाजार दर पर निर्धारित किराया क्या था ;

(ख) दिल्ली में भूतपूर्वक संसद् सदस्यों/मंत्रियों को रिहायशी आवास के आवंटन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा और लागू होने वाले नियम क्या हैं ; और

(ग) भूतपूर्व संसद् सदस्यों/मंत्रियों के कब्जे के मकान में काम करने वाले मालिकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला व्यय कौन वहन करता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भूतपूर्व संसद् सदस्यों / भूतपूर्व मंत्रियों को वास आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है ।

फिर भी सदस्य न रहने की स्थिति में सरकारी वास को रखने की अनुज्ञेय अवधि एक मास है तथा किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामलें में अनुमेय अवधि दो मास है जिसकी शर्तें वही होती हैं जो उपर्युक्त घटनाओं में से किसी भी घटना के होने के तुरन्त पहले लागू थीं ।

मंत्रियों के सम्बन्ध में किराया मुक्त आधार पर वास को रखने की अनुमेय अवधि एक मास है जो उस तारीख से गिनी जाती है जिस तारीख को वह मंत्री पद से हट जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है ।